

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 218/2026

Chhuttanlal Meena S/o Shri Ramji Lal Meena

----Appellant

Versus

Gokul Ram Meena S/o Late Shri Richchpal

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Kapil Gupta, Adv.
Ms. Anisha Yadav, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

05/02/2026

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अपील व स्थगन आवेदन के नोटिस प्रत्यर्थी/विपक्षी को सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ स्पीड पोस्ट से जारी किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदनानुसार नोटिस दस्ती दिये जावें।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य सुसंगत परिस्थितियों को विचार में लेने के उपरांत यह अंतरिम आदेश दिया जाता है कि विपक्षी अपने हिस्से की वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय, अंतरित व भारित नहीं करे। यह आदेश विपक्षी पर नोटिस तामील होने के बाद प्रभावी होगा तथा आगामी पेशी पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगा और उस दिन उपस्थित पक्षों को सुनकर आवश्यकतानुसार नये सिरे से अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।

प्रकरण दिनांक 18.02.2026 को सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J